न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 43 / 2024

1 नत्थूराम पुत्र स्व. श्री मालाराम जाति जाट निवासी गोदारा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 शान्ति देवी पत्नी शिवराम जाति जाट निवासी गोदारा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 बुद्धराम पुत्र स्व. श्री मालाराम जाति जाट निवासी गोदारा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अन्तरिम आदेश मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा उनवानी नत्थुराम बनाम शान्ति वगै. मुकदमा नम्बर 21 / 2024 दिनांक 04.03.2024

उपस्थिति :

1. श्री हिदायत हुसैन, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 3.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 21/2024 में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय मे वादी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 478, 469 नये खसरा नम्बर 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 764, 765, 766, 767 वाके ग्राम चिड़ावा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का अंतरिम आदेश दिनांक 04.03.2024 विरूद्ध विधि व पत्रावली है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर पेश रिकार्ड व दस्तावेज पर गौर न कर हस्तगत प्रकरण में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न करने में कानूनी भूल की इसलिए अंतरिम आदेश दिनांक 04.03.2024 अपास्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा पेश पूर्व के निर्णय पर व उक्त पूर्व के दावे में हुए खाता विभाजन पर कोई गौर न कर उक्त अंतरिम आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय का अंतरिम आदेश दिनांक 04.03.2024 को अपास्त किया जाने का आदेश फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। धारा 212 के मूल आवेदन का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में मूल आवेदन के निस्तारण के संबंध में चाराजोही नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। धारा 212 के मूल आवेदन का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में मूल आवेदन के निस्तारण के संबंध में चाराजोही नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर